अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस

2017-00247RAAJu2017-060RTA223 Madhosingh etc Vs Ramjot etc

1. माधोसिंह पुत्र आसुसिंह राजपूत
2. भंवरसिंह पुत्र आसुसिंह राजपूत
3. मूलसिंह पुत्र आसुसिंह राजपूत
4. देवीसिंह पुत्र आसुसिंह राजपूत
5. पपुसिंह पुत्र आसुसिंह राजपूत
6. नारायणसिंह पुत्र आसुसिंह राजपूत
7. किशोरसिंह पुत्र आसुसिंह राजपूत
8. मुन्नोकंवर पत्नी आसुसिंह राजपूत
9. गुलाबकंवर पत्नी उमसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम श्यामनगर (चाम्पासर)
   तहसील बाप, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. रामजोत पुत्री भोपालसिंह राजपूत
   निवासी धनाराखुर्द, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर
2. भगवाना पुत्र अलसाराम जाट
3. श्रीराम पुत्र अलसाराम जाट
4. उमाराम पुत्र अलसाराम जाट
5. कालूराम पुत्र अलसाराम जाट
6. मोहनराम पुत्र अलसाराम जाट
7. भोमाराम पुत्र अलसाराम जाट
8. किसनाराम पुत्र धनाराम जाट
9. भागीरथराम पुत्र धनाराम जाट
10. पूनाराम पुत्र धनाराम जाट
11. उगाराम पुत्र धनाराम जाट
12. बनाराम पुत्र धनाराम जाट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. केसूदेवी पत्नी धनाराम जाट
निवासीगण श्यामनगर (चाम्पासर)
तहसील बाप, जिला जोधपुर
14. सुगनी पुत्री धनाराम पत्नी शेराराम जाट
निवासी भामटसर, तहसील नौखा
जिला बीकानेर
15. तीजो पुत्री धनाराम पत्नी बालूराम जाट
निवासी चाम्पासर, तहसील बाप
जिला जोधपुर
16. गंगाकंवर पत्नी रेवतसिंह राजपूत
17. अस्मानकंवर पत्नी जसवन्तसिंह राजपूत
18. मगसिंह पुत्र बादरसिंह राजपूत
निवासीगण चाम्पासर, तहसील बाप
जिला जोधपुर
19. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार बाप
जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर, बाप दिनांक 10 अगस्त 2016 राजस्व वाद संख्या 102/2015 रामजोत बनाम गवरी इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री उम्मेदसिंह बांवरला, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 19

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 18 अगस्त 2020

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर, बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2015 रामजोत बनाम गवरी आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 अगस्त 2016 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 13 जुलाई 2017 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद पेश कर आराजी खसरा संख्या 503 रकबा 38 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 544 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 546 रकबा 78 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 549 रकबा 205 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 333 बीघा 11 बिस्वा बारानी चारम लगान 23.11 रूपये वाके राजस्व ग्राम श्यामनगर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील बाप जिला जोधपुर वादिनी-रेस्पो. संख्या एक एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से बीस की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 का उक्त आराजियात में ½ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 18 व 19 का 5/24 हिस्सा होना तथा प्रतिवादी संख्या 20 का 5/24 हिस्सा होना जाहिर करते हुए वादिनी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा कुल आराजियात में अपना 1180/6671वॉं हिस्सा जरिये विकय विलेख सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 20 से उसके 5/24वें हिस्से में से कय किया जाना जाहिर किया और इसी अनुसार विकय विलेख के आधार पर वादग्रस्त आराजियात में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उसके कयशुदा भू-भाग बावत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 07 सितम्बर 2015 को संस्थित किया गया और दिनांक 17 जून 2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दिनांक 10 अगस्त 2016 को फाइनल डिक्री जारी की गयी। दिनांक 10 अगस्त 2016 को जारी फाइनल डिक्री के खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान अपीलाण्ट्स के पिता आसुसिंह पुत्र सादुलसिंह को बतौर प्रतिवादी संख्या 19 पक्षकार बनाया गया है, जिनका वर्तमान में देहान्त हो चुका है, उक्त आसुसिंह पुत्र सादुलसिंह का वाद की कार्यवाही में कभी कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ और न ही साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विभाजन प्रस्ताव भी प्रतिवादी आसुसिंह पुत्र सादुलसिंह एवं अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में तैयार किये गये। वादग्रस्त आराजियात का वर्षो पूर्व सहखातेदारान की आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा हो चुका है और उक्त बंटवारे के अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त है, ढाणिया बनी हुई है, वादिनी-रेस्पो. संख्या एक मात्र अजनबी केता है, जिसका मौके पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। मामले में विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर संबंधित तहसीलदार की बजाय पटवारी द्वारा तैयार किये गये है, मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव सहखातेदारान के भौतिक कब्जे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं किये गये है। वर्तमान में वादिनी-रेस्पो. संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी तृतीय पक्षकार को बेचान करने पर आमदा है। अपीलाण्ट्स एवं उनके पिता को सम्मन एवं सुनवाई का अवसर दिये विना ही समस्त कार्यवाही किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय बाबत उन्हें समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी, दिनांक 25 जून 2017 को मौके पर रेस्पो. संख्या एक के व्यक्तियों द्वारा आकर जब यह कहा गया कि तुम्हारे कब्जे वाले स्थान की भूमि बंटवारे के जरिये रेस्पो. संख्या एक के बंट में आ गयी है, तब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर नकल आदि निकलवाने पर 28 जून 2017 को अपीलाधीन निर्णय आदि बाबत जानकारी हुई। अतः मियाद प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विश्वास किया जाकर अपील मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया और कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में सहकाश्तकार को अपने हिस्से की भूमि बेचान करने हेतु स्वतन्त्र माना गया है और ऐसे हिस्से के केता द्वारा विधिवत विभाजन करवा कर कब्जा प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। आलौच्य मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के इन्हीं प्रावधानों का अनुसरण किया गया है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या दो से सात की ओर से अधिवक्ता उपस्थिति हुए, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 8 से 20 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये थे, पर्याप्त प्रतीक्षा के उपरान्त भी जब प्राप्ति-सूचना अथवा सम्मन लौट कर नहीं आये और न हीं उक्त प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आये तो उनके खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इकतरफा कार्यवाही की गयी। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें सम्मन अथवा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रतिवादिनी संख्या एक के फौत हो जाने की सूचना आयी, उसके विधिक वारिसान पूर्व से ही प्रकरण में पक्षकार मौजूद होने से उसका नाम विधिवत विलोपित कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जून 2016 एवं फाइलन डिक्री 10 अगस्त 2016 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जून 2016 को चुनौती भी नहीं दी गयी है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समस्त तथ्यों एवं विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील एवं उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के संबंध में अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं एवं भारतीय डाक विभाग की पोस्टल रसीदात से रेस्पो. के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या दो से सात की ओर से अधिवक्ता उपस्थिति हुए, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 8 से 20 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये थे, पर्याप्त प्रतीक्षा के उपरान्त भी जब प्राप्ति-सूचना अथवा सम्मन लौट कर नहीं आये और न हीं उक्त प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तो उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अदालत हाजा विद्वान अधिवक्ता-रेस्पो. के इस तर्क से भी सहमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में सहकाश्तकार को अपने हिस्से की भूमि बेचान करने हेतु स्वतन्त्र माना गया है और ऐसे हिस्से के केता द्वारा विधिवत विभाजन करवा कर कब्जा प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। आलौच्य प्रकरण में यही प्रक्रिया अपनायी जा रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जून 2016, जिसे अदालत हाजा के समक्ष कोई चुनौती भी नहीं दी गयी है, में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है।

किन्तु जहॉ तक फाइनल डिक्री दिनांक 10 अगस्त 2016, जिसके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की गयी है, का प्रश्न है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि **विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार संबंधित तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है, अपितु पटवारी हळका द्वारा तैयार किया गया है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान से उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत कोई आपत्ति होने/नहीं होने बाबत सुनवाई नहीं की गयी है।

चूंकि फाइनल डिक्री के संबंध में अपील अपीलाण्ट्स सारवान पायी जाती है, इस कारण समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए कि जहॉ प्रकरण गुणावगुण पर सारवान पाया जावे, मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर प्रकरण खारिज किया जाकर पक्षकार के लिए न्याय-प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिये, अदालत हाजा आलौच्य प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायहित में नरम-रूख अपनाते हुए मियाद-प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अपील मियादशुमार किया जाना न्यायाचित समझती है।

इस प्रकार जाहिर है कि फाइनल डिकी, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुरूप जारी नहीं की गयी है, जिसका समर्थन करना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाइनल डिकी एवं निर्णय दिनांक 10 अगस्त 2016 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मंगवाते हुए पुनः फाइनल डिकी जारी करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर